



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-06022023-243470  
CG-DL-E-06022023-243470

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 4  
PART II—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1]

नई दिल्ली, सोमवार, फरवरी 6, 2023/माघ 17, 1944

No. 1]

NEW DELHI, MONDAY, FEBRUARY 6, 2023/MAGHA 17, 1944

रक्षा मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 फरवरी, 2023

का. नि. आ. 1(अ).—केंद्रीय सरकार, छावनी अधिनियम, 2006 (2006 का 41) की धारा 13 की उप-धारा (1) के खंड (ख) और उप-धारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस बात से सन्तुष्ट होते हुए की कुछ छावनियां, जिनकी परिवर्ती कार्यावधि 10 फरवरी, 2023 को समाप्त हो रही है, उन छावनियों के प्रशासन हेतु उनके गठन को परिवर्ती रखा जाना वांछनीय हैं, उक्त बोर्ड कार्यालयों का कार्यकाल 11 फरवरी, 2023 से आगामी छः महीने या उस समय तक जब तक कि बोर्डों का गठन उक्त अधिनियम की धारा 12 के अधीन नहीं कर लिया जाता, इनमें से जो भी पूर्वतः हो, नीचे दी गई सारणी में विनिर्दिष्ट छावनी बोर्डों के गठन में फेरफार की घोषणा करती है :-

## सारणी

| क्रम संख्या | छावनी बोर्ड का नाम |
|-------------|--------------------|
| (1)         | (2)                |
| 1           | आगरा               |
| 2           | अहमदाबाद           |
| 3           | अहमदनगर            |
| 4           | अजमेर              |
| 5           | इलाहाबाद           |
| 6           | अल्मोड़ा           |
| 7           | अम्बाला            |
| 8           | अमृतसर             |
| 9           | औरंगाबाद           |
| 10          | अयोध्या            |
| 11          | बबीना              |
| 12          | बकलोह              |
| 13          | बरेली              |
| 14          | बैरकपुर            |
| 15          | बेलगाम             |
| 16          | कण्णनूर            |
| 17          | चकराता             |
| 18          | क्लेमेंट टाऊन      |
| 19          | दगशार्ई            |

| क्रम संख्या | छावनी बोर्ड का नाम |
|-------------|--------------------|
| (1)         | (2)                |
| 20          | डलहौजी             |
| 21          | दानापुर            |
| 22          | देहरादून           |
| 23          | देहु रोड           |
| 24          | दिल्ली             |
| 25          | देवलाली            |
| 26          | फतेहगढ़            |
| 27          | फिरोजपुर           |
| 28          | जबलपुर             |
| 29          | जालंधर             |
| 30          | जलापहाड़           |
| 31          | झांसी              |
| 32          | जतोंग              |
| 33          | कामठी              |
| 34          | कानपुर             |
| 35          | कसौली              |
| 36          | खड़की              |
| 37          | लैन्डोर            |
| 38          | लैन्सडाउन          |

| क्रम संख्या | छावनी बोर्ड का नाम        |
|-------------|---------------------------|
| (1)         | (2)                       |
| 39          | लैबांग                    |
| 40          | लखनऊ                      |
| 41          | मथुरा                     |
| 42          | महू                       |
| 43          | मोरार                     |
| 44          | नैनीताल                   |
| 45          | नसीराबाद                  |
| 46          | पुणे                      |
| 47          | रानीखेत                   |
| 48          | रूड़की                    |
| 49          | सागर                      |
| 50          | सिकंदराबाद                |
| 51          | शाहजहांपुर                |
| 52          | शिलांग                    |
| 53          | सेंट थॉमस माउंट कम पलावरम |
| 54          | सुबाथू                    |
| 55          | वाराणसी                   |
| 56          | वेलिंगटन                  |

[फा. सं. 14(8)/2019-डी(क्यू एवं सी)/वॉल-1]

राकेश मित्तल, संयुक्त सचिव

## MINISTRY OF DEFENCE

## NOTIFICATION

New Delhi, the 6th February, 2023

**S.R.O. 1(E).**—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) and sub-section (4) of section 13 of the Cantonments Act, 2006 (41 of 2006), the Central Government, on being satisfied that for the administration of certain Cantonments, it is desirable to vary the constitution of the Cantonment Boards relating thereto where the term of the members shall expire on 10<sup>th</sup> February, 2023, hereby makes a declaration to vary the constitution of Cantonment Boards specified in the Table given below, with effect from the 11<sup>th</sup> February, 2023, for a period of six months, or till such time the said Boards are constituted under section 12 of the said Act, whichever is earlier:

TABLE

| Serial Number | Name of Cantonment Board |
|---------------|--------------------------|
| (1)           | (2)                      |
| 1             | Agra                     |
| 2             | Ahmedabad                |
| 3             | Ahmednagar               |
| 4             | Ajmer                    |
| 5             | Allahabad                |
| 6             | Almora                   |
| 7             | Ambala                   |
| 8             | Amritsar                 |
| 9             | Aurangabad               |
| 10            | Ayodhya                  |
| 11            | Babina                   |
| 12            | Bakloh                   |
| 13            | Bareilly                 |
| 14            | Barrackpore              |
| 15            | Belgaum                  |
| 16            | Cannanore                |
| 17            | Chakrata                 |
| 18            | Clement town             |
| 19            | Dagshai                  |

| Serial Number | Name of Cantonment Board |
|---------------|--------------------------|
| (1)           | (2)                      |
| 20            | Dalhousie                |
| 21            | Danapur                  |
| 22            | Dehradun                 |
| 23            | Dehuroad                 |
| 24            | Delhi                    |
| 25            | Deolali                  |
| 26            | Fatehgarh                |
| 27            | Ferozepur                |
| 28            | Jabalpur                 |
| 29            | Jalandhar                |
| 30            | Jalapahar                |
| 31            | Jhansi                   |
| 32            | Jutogh                   |
| 33            | Kamptee                  |
| 34            | Kanpur                   |
| 35            | Kasauli                  |
| 36            | Kirkee                   |
| 37            | Landour                  |
| 38            | Lansdowne                |

| Serial Number | Name of Cantonment Board       |
|---------------|--------------------------------|
| (1)           | (2)                            |
| 39            | Lebong                         |
| 40            | Lucknow                        |
| 41            | Mathura                        |
| 42            | Mhow                           |
| 43            | Morar                          |
| 44            | Nainital                       |
| 45            | Nasirabad                      |
| 46            | Pune                           |
| 47            | Ranikhet                       |
| 48            | Roorkee                        |
| 49            | Saugor                         |
| 50            | Secunderabad                   |
| 51            | Shahajahanpur                  |
| 52            | Shillong                       |
| 53            | St. Thomas Mount Cum Palavaram |
| 54            | Subathu                        |
| 55            | Varanasi                       |
| 56            | Wellington                     |

[F. No. 14(8)/2019-D(Q&amp;C)/Vol-I]

RAKESH MITTAL, Jt. Secy.